प्रबन्ध मण्डल की 12 वीं बैठक दिनांक 26–07–2010 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 12 वीं बैठक दिनांक 26–07–2010 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति प्रो. गंगा राम जाखड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1. प्रो. गंगा राम जाखड़ – अध्यक्ष
2. श्री दौलत राज नायक – सदस्य राजस्थान विधान सभा
3. श्री तपेश पंवार – प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा
4. श्री प्रीतम सिंह – प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त
5. प्रो. एल.एन. गुप्ता – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
6. डॉ. रविन्द्र शर्मा – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
7. डॉ. एस.एस. टाक – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित–शिक्षाविद्)
8. डॉ. सुरेश अग्रवाल – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित–शिक्षाविद्)
9. डॉ. आर.के.वर्मा – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित–राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य)
10. डॉ. विमलेन्दु तायल – सदस्य
    (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित–निजी महाविद्यालय प्राचार्य)
11. श्री मनीराम – सदस्य
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
12. श्री एच.आर.इसरान – सदस्य
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
13. श्री श्याम सुन्दर रांकावत – सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में सभी सदस्यों का कुलपति महोदय द्वारा स्वागत किया गया। विशेष रूप से हाल ही में मनोनीत सदस्य प्रो. एल.एन. गुप्ता, डॉ. रविन्द्र शर्मा, डॉ. आर.के.वर्मा, डॉ. विमलेन्दु तायल, श्री मनीराम एवं श्री एच.आर.इसरान का स्वागत करते हुए कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के नीतिगत निर्णयों एवं प्रभावी क्रियान्वयन में इनके पूर्ण सहयोग की आशा व्यक्त

की। कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के पूर्व सदस्य डॉ. एम.एल. शर्मा एवं श्री के.एल. जैन उनके कार्यकाल के दौरान प्रदत्त योगदान की भी सराहना की। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ गई। बैठक में हुए विचार–विमर्श एवं विचारणीय बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–12 / 2010 / 118
प्रबन्ध मण्डल की 11वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रबन्ध मण्डल की ग्याहरवीं बैठक दिनांक (23–04–2010) का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है जिसके अनुमोदन का प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– उपस्थित सदस्यों द्वारा 11 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की अंतिम पंक्ति में संशोधन के साथ सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–12 / 2010 / 119
प्रबन्ध मण्डल की ग्याहरवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव : –

प्रबन्ध मण्डल की ग्याहरवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की विश्वविद्यालय द्वारा पालना सम्बन्धी कार्यवाही कर विवरण अनुमोदनार्थ बैठक में प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– उपस्थित सदस्यों द्वारा 11 वीं बैठक की पालना प्रतिवेदन का विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। सदस्यों द्वारा निर्णयों की पालना यथाशीघ्र किये जाने का सुझाव दिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–12 / 2010 / 120
विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22.05.2010 एवं 03.07.2010 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22.05.2010 एवं दिनांक 03.07.2010 के एजेण्डा बिन्दु एवं कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण दिनांक 22–05–2010 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा विद्या परिषद बैठक दिनांक 03–07–2010 के कार्यवाही विवरण के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गए :–

1. विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों की पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु बैठकें प्रत्येक वर्ष में जनवरी माह तक अवश्य करा ली जावें जिससे आगामी वर्ष के पाठ्यक्रम सत्र प्रारम्भ से पूर्व ही तैयार किये जा सकें।
2. विद्या परिषद द्वारा अध्ययन मण्डलों की बैठकों से पूर्व संबंधित सदस्यों को पाठ्यक्रम निर्माण हेतु निर्देशात्मक बिन्दु उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।
3. अध्ययन बोर्ड की बैठक में कोरम पूरा होना सुनिश्चित किया जावे।
4. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 03–07–2010 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 08 मे अंकित छात्र श्री गौरव सोमानी के प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति के बारे में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को भी अवगत करवाया जावे। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों से अवगत करवाया जावे।
5. बिन्दु संख्या 8 की अंतिम पंक्तियों " साथ ही भविष्य में .... अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया" को छात्र हित में विलोपित किया जावे।
6. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 03–07–2010 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 09 में अंकित समकक्षता समिति की बैठक (04–01–2010) के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 05 के सम्बन्ध में पुनः विचारार्थ विद्या परिषद को प्रेषित किया जावें।
7. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 03–07–2010 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 14 में अंकित नवीन उपाधि मुद्रण हेतु अनुमोदित प्रारूप को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकार किया गया। साथ ही माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के नाम की स्थिति के संबंध में विधिक राय प्राप्त कर ली जावे। विधिक राय के अनुरूप आगामी कार्यवाही हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

उपरोक्त सुझावों एवं संशोधनों के साथ प्रबन्ध मण्डल द्वारा विद्या परिषद की बैठक दिनांक 03–07–2010 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

इस सम्बन्ध में विचार–विमर्श करते हुए प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में कथित रूप से प्रशासनिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक अनियमितताओं की तत्कालीक संभागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट एवं जाँच रिपोर्ट के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की ओर से माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक टिप्पणी का परीक्षण कर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार प्रबन्ध मण्डल द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए प्रबन्ध मण्डल सदस्यों की निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :–

1. प्रो. एस.एस. टाक — संयोजक
2. प्रो. एल.एन. गुप्ता — सदस्य
3. डॉ. सुरेश अग्रवाल — सदस्य

उपरोक्त समिति की रिपोर्ट/अनुशंषा आगामी कार्यवाही हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–12/2010/121

शोध (Ph.D.)सम्बन्धी अधिनियम O-124 के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/.Ph.D.उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए Ordinance 124 तैयार कर विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22–05–2010 में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। विद्या परिषद के उपरोक्त निर्णय का विद्या परिषद की आगामी बैठक दिनांक 03–07–2010 में अनुमोदन भी किया जा चुका है। अधिनियम के प्रावधान, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के अध्यादेश–124 को आधार मानकर शोध छात्रों के पंजीयन सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त विनियम 2009 के प्रावधानों का समायोजन करते हुए तैयार किये गये है जिनका लागू किया जाना आवश्यक है। प्रबन्ध मण्डल की पिछली बैठक में ही सूचित कर दिया गया था कि 31 जनवरी, 2010 के बाद से शोध छात्रों का पंजीयन पुराने प्रावधानों के अन्तर्गत नही किया जा रहा है। नये अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप शोध छात्रों के पंजीयन हेतु प्रवेश परीक्षा 01 अगस्त, 2010 को आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

<u>निर्णय</u> :– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/.Ph.D.) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित Ordinance 124 में विचार–विमर्श के दौरान निम्नानुसार आंशिक सुधार कर महामहिम कुलाधिपति महोदय को अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदनार्थ भेजे जाने का निर्णय लिया गया :–

1. O-124.A (1) के पैरा प्रथम की अन्तिम पंक्ति "Company secretaryship is considered equivalent to post graduate qualification and candidates with this qualification will be eligible for registration for Ph.D. in commerce/ management/ law." को हटाया जावे।
2. O-124.A (4) (ii) की प्रथम पंक्ति में "under 3(i) be replaced by under 4(i)".
3. O-124.A (4) (ii) की द्वितीय पंक्ति में word 'permanent' be inserted before collge teachers.
4. O-124. A (4) (iv) की प्रथम पंक्ति में "in service" words be deleted.

उपरोक्त ऑडिनेंस–124 का अनुमोदन कर प्रबन्ध मण्डल ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 39 (4) के प्रावधानों के अनुसार इसके प्रभावी होने की तिथि 26–07–2010 निर्धारित की। प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित Ordinance 124 की प्रति संलग्न है (Annexure-1)।

1. प्रो. एस.एस. टाक — संयोजक
2. प्रो. एल.एन. गुप्ता — सदस्य
3. डॉ. सुरेश अग्रवाल — सदस्य

उपरोक्त समिति की रिपोर्ट / अनुशंषा आगामी कार्यवाही हेतु प्रबन्ध म... के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–12 / 2010 / 121

शोध (Ph.D.) सम्बन्धी अधिनियम O-124 के अनुमोदन का प्रस्ताव :—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/.Ph.D. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए Ordinance 124 तैयार कर विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22–05–2010 में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। विद्या परिषद के उपरोक्त निर्णय का विद्या परिषद की आगामी बैठक दिनांक 03–07–2010 में अनुमोदन भी किया जा चुका है। अधिनियम के प्रावधान, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के अध्यादेश–124 को आधार मानकर शोध छात्रों के पंजीयन सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त विनियम 2009 के प्रावधानों का समायोजन करते हुए तैयार किये गये है जिनको लागू किया जाना आवश्यक है। प्रबन्ध मण्डल की पिछली बैठक में ही सूचित कर दिया गया था कि 31 जनवरी, 2010 के बाद से शोध छात्रों का पंजीयन पुराने प्रावधानों के अन्तर्गत नही किया जा रहा है। नये अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप शोध छात्रों के पंजीयन हेतु प्रवेश परीक्षा 01 अगस्त, 2010 को आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

निर्णय — विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/.Ph.D.) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित Ordinance 124 में विचार–विमर्श के दौरान निम्नानुसार आंशिक सुधार कर महामहिम कुलाधिपति महोदय को अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदनार्थ भेजे जाने का निर्णय लिया गया :—

1. O-124.A (1) के पैरा प्रथम की अन्तिम पंक्ति "Company secretaryship is considered equivalent to post graduate qualification and candidates with this qualification will be eligible for registration for Ph.D. in commerce/ management/ law." को हटाया जावे।
2. O-124.A (4) (ii) की प्रथम पंक्ति में " under 3(i) be replaced by under 4(i)".
3. O-124.A (4) (ii) की द्वितीय पंक्ति में word 'permanent' be inserted before collge teachers.
4. O-124. A (4) (iv) की प्रथम पंक्ति में "in service" words be deleted.

उपरोक्त ऑर्डिनेंस–124 का अनुमोदन कर प्रबन्ध मण्डल ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 39 (4) के प्रावधानों के अनुसार इसके प्रभावी होने की तिथि 26–07–2010 निर्धारित की। प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित Ordinance 124 की प्रति संलग्न है (Annexure-1)।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–12 / 2010 / 122(i)

एम.फिल. एवं पीएच.डी. संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु विभिन्न मदों के मानदेय एवं अन्य दरों के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

एम.फिल. एवं पीएच.डी. में पंजीकरण हेतु प्रवेश परीक्षा दिनांक 01–08–2010 को आयोजित की जानी प्रस्तावित है। इस क्रम में प्राप्त 2664 आवेदनों की जांच एवं परीक्षा आयोजन सम्बन्धी कार्यों के लिए पारिश्रमिक दरों की स्वीकृति के कार्यालय आदेश क्रमांक MPCET( ) मंगविबी / एस.एफ.एस. / 2010 / 2044 दिनांक 13–07–2010 तथा परीक्षा आयोजन में लगाये जाने वाले स्टॉफ को दिये जाने वाले मानदेय की प्रस्तावित दरों का प्रारूप प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु संलग्न किया जा रहा है। प्रस्तावित मानदेय की दरों का विवरण प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में दिये जाने वाले मानदेय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

निर्णय :– एम.फिल. एवं पीएच.डी. संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु विभिन्न मदों के अन्तर्गत दिये जाने वाले मानदेय एवं अन्य दरों के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 2044 दिनांक 13–07–2010 पर विचार–विमर्श कर प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–12 / 2010 / 122(ii)

एम.फिल. एवं पीएच.डी. संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु तैयार किये जाने वाले प्रश्न पत्रों के लिए देय मानदेय राशि के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव रखा गया –

विचार–विमर्श के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि एम.फिल. एवं पीएच.डी. संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु पेपर सैटिंग के लिए वर्तमान निर्धारित मानदेय राशि 1,000/– में प्रश्न पत्र निर्माण कराना कठिन हो रहा था। अतः बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्रों (जिसमें 100 प्रश्न बनाना आवश्यक हो) में शिक्षकों को अधिक मानदेय दिया जाना प्रस्तावित किया गया।

निर्णय – उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर एम.फिल. एवं पीएच.डी. संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र तैयार कराने हेतु प्रश्न पत्र निर्माताओं को मानदेय की राशि 3,000/– रूपये दिये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–12 / 2010 / 123

विश्वविद्यालय की एम.फिल. वार्षिक परीक्षाओं के परीक्षकों को देय पारिश्रमिक दरों के संशोधन प्रस्ताव :–

एम.फिल परीक्षा 2010 से प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं लघु शोध प्रबन्ध के जाँच एवं मौखिक परीक्षा के संचालन के लिए पूर्व में निर्धारित दरों में संशोधन निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

क्र.स.	कार्य का विवरण	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर (म.द.स. विश्वविद्यालय अजमेर के अनुसार)
1	प्रश्न पत्र निर्माण	500/–	600/–
2.	उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन	10/– प्रति	30/– प्रति

3.	लघु शोध प्रबन्ध जाँच और मौखिक परीक्षा के संचालन के लिए	उ.पु. न्यूनतम 100/– 150/–	न्यूनतम 300/– 400/– प्रति शोध प्रबन्धन

प्रबन्ध मण्डल प्रस्ताव इसलिए विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पिछले कई वर्षो से प्रस्तावित दरें राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार लागू है परन्तु महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में वर्तमान में उपरोक्त परीक्षा हेतु ला दरें अन्य विश्वविद्यालयों से अत्याधिक कम है।

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में देय मानदेय राशि के अनुसार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एम.फिल परीक्षा 2010 से प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याकंन एवं लघु शोध प्रबन्ध के जाँच एवं मौखिक परीक्षा के संचालन के लिए पूर्व में निर्धारित दरों में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित दरें लागू करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. मगसिविवी/बोम–12/2010/124

विश्वविद्यालय में पाँच शैक्षणिक विभागों में स्वीकृत 30 शैक्षिक पदों पर चयन हेतु शैक्षणिक एवं अन्य मापदण्डों के निर्धारण का प्रस्ताव

The Government of Rajasthan sanctioned 5 Academic Department namely Environmental Science, Microbiology, History, English and Computer Science. Recently in March 2010 government also sanctioned 20 teaching post for above mentioned departments. Including early sanctioned post now total no. of teaching post sanctioned is 30 (5 Professor, 10 Associate Professer and 15 Assistant Professor) for making appointments on these post the qualifications have to be adopted as per U.G.C. regulations on minimum qualification for appointment of teacher in Universities and colleges which have been recently issued by U.G.C. on 30 June, 2010. There for a proposal is being placed before Board of Management to adopte these qualifications for making selection of various vacant teaching posts. The detailed qualification are enclosed as appendix-

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य मापदण्डों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। परन्तु साथ ही Appendix के पृष्ठ संख्या तीन पर Good Academic Record के Explaination में अंतिम पैरेग्राफ "Average of 52% marks in any two public examination immediately preceding to Master's Degree examination" को विलोपित करते का निर्णय लिया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक एवं अन्य मापदण्डों की (Appendix सहित) प्रति संलग्न कर प्रेषित है (Annexure-2)।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविवी / बोम–12 / 2010 / 125

परीक्षा वर्ष 2009 के पुनर्मूल्याकंन कार्यो हेतु देय पारिश्रमिक दरों के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.02(9)मगंसिविबी / गोपनीय / 2009 / 8958–65 दिनांक 28–07–2009 के द्वारा पुनर्मूल्याकंन 2009 का कार्य सम्पन्न कराने हेतु टीमों का गठन कर कार्य सम्पन्न करवाया गया था। पुनर्मूल्याकंन कार्य हेतु विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को कार्य अनुसार मानदेय पूर्व के वर्षो में म.द.स. विश्वविद्यालय अजमेर के आदेशों के अनुरूप दिया जाता रहा है एवं वर्ष 2008 की परीक्षाओं के लिए देय मानदेय का भुगतान आदेश क्रमांक F.02( ) MGSB/Secy/2008/25056 दिनांक 20.12.2008 के अनुसार किया गया। प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 07–11–2009 में अन्य मानदेय के निर्धारण के साथ पुनर्मूल्याकंन के मानदेय का प्रस्ताव भी विचारणीय बिन्दु में सम्मिलित था। परन्तु इस सम्बन्ध में कार्यवाही विवरण में किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना उल्लेखित नही है। चूंकि कर्मचारियों ने पूर्व की भाँति वर्ष 2009 का पुनर्मूल्याकंन कार्य कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में सम्पादित किया है, इसलिए उपरोक्तानुसार भुगतान सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। प्रस्तावित दरों का प्रारूप संलग्न कर प्रस्तुत किया गया ।

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर पुनर्मूल्याकंन 2009 के कार्यो हेतु प्रस्तावित दरों का अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्देशित किया कि कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले अतिरिक्त कार्य का पूर्व विवरण संधारित किया जावें।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–12 / 2010 / 126

शैक्षणिक सत्र 2008–09 के लिए परीक्षकों को निर्धारित सीमा से अधिक किये गये पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं कार्योपरान्त स्वीकृति तथा वर्ष 2009–10 से पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव :–

अन्य विश्वविद्यालयों की भाँति इस विश्वविद्यालय में भी उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा 20,000 / – निर्धारित है। परन्तु मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं एवं पुनर्मूल्याकंन की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याकंन कार्यो को समय पर पूरा कर परीक्षा परिणाम भी निर्धारित समयानुसार घोषित किया जाना विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक होता है। कुछ विषय विशेष के शिक्षकों द्वारा समय पर कार्य नही करने के कारण कुछ शिक्षकों से पुनर्मूल्याकंन सहित जो कार्य करवाया जाता है उसका पारिश्रमिक निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। ऐसे में पिछले वर्ष कुछ परीक्षकों को सीमा से अधिक राशि का भुगतान किया गया लेकिन यह भुगतान 25,000 / – से अधिक नही किया गया। उक्त प्रकरणों का माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति के पश्चात भुगतान किया गया। वर्ष 2010 की परीक्षाओं के मूल्याकंन कार्य को भी यथा सम्भव निर्धारित सीमा के अन्दर ही करवाया गया है। परन्तु कुछ शिक्षकों के पारिश्रमिक बिल निर्धारित सीमा से अधिक हो सकते है तथा अभी पुनर्मूल्याकंन का कार्य करवाया जाना शेष है। पुनर्मल्याकंन के परिणाम भी शीघ्र घोषित किया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में सम्मिलित पारिश्रमिक की अधिकतम 20,000 / – बढाकर 25,000 / – किया जाना प्रस्तावित है। अधिकतम सीमा का निर्धारण राजस्थान विश्वविद्यालय को आधार मानकर किया गया था। जबकि वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय ने यह सीमा बढाकर 25,000 / – कर दी है तथा कुछ विशेष विषयों के परीक्षकों के लिए अधिकतम सीमा 30,000 / – रखी गई है। अतः इसी के अनुरूप उपरोक्त विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्धारित सीमा से अधिक
भुगतान 1.36 लाख की माननीय कुलपति द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति
करते हुए परीक्षा वर्ष 2010 से उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन (मुख्य परी
पुनर्मूल्यांकन) हेतु परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा 20,0
रूपये से बढाकर 25,000/– रूपये करने का निर्णय लिया गया। साथ ही
सदस्य डॉ. एस.एस. टाक ने सुझाव दिया कि किन किन व्याख्याताओं
कितनी–कितनी संख्या में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया गया, इसका
प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जावें।

एजेण्डा आईटम सं. : मगसिविबी/बोम–12/2010/127

विश्वविद्यालय के सामान्य लेखों तथा स्ववित्तपोषी योजना के वित्तीय वर्ष 2008–
के लेखों की सी.ए. आडिट सम्पन्न कराने के लिए ओवर–टाइम अलाउन्स
स्वीकृति का प्रस्ताव :–

इस विश्वविद्यालय के सामान्य लेखों तथा इसके अधीन संचालित स्व–वित्त पोषी योजना
के वित्तीय वर्ष 2008–09 के लेखों की आडिट मै0 चूरा एण्ड कम्पनी बीकानेर द्वारा सम्पन्न
के पश्चात उसका अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 07–11–2009 में किया
चुका है।

ऑडिट कार्यो को सम्पन्न कराने के लिए इस कार्य से जुड़े विश्वविद्यालय के तीन
कर्मचारियों श्री बी.एल.आत्रेय सेवानिवृत लेखाधिकारी, श्री नवनीत व्यास, सेवानिवृत सहायक
लेखाधिकारी एवं श्री प्रकाश कुमावत केशियर ने अतिरिक्त समय में कार्य किया था। इस
विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के बजट एवं वित्तीय नियमों के नियम
99–2–।। में इस प्रकृति के कार्य के लिए ओ.टी.ए. देने का प्रावधान है। अतः तीनों कर्मचारियों
को एक माह के वेतन के बराबर ओ.टी. देने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं
अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल द्वारा अस्वीकार किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगसिविबी/बोम–12/2010/128

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा वर्ष 2010 से पनुर्मूल्यांकन आवेदन ऑन लाईन भरवाने की
कार्यवाही सूचनार्थ एवं आगामी मुख्य परीक्षा 2011 से परीक्षा सम्बन्धी आवेदन आदि
ऑन लाईन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

मुख्य परीक्षा 2010 के परिणामों के पश्चात छात्रों द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु किये जाने वाले
आवेदनों की प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत करते हुए ऑन लाईन की गई है। जिसमें छात्र इस सम्बन्ध में
आवेदन पत्र पूर्ण भरकर डाउनलोड करेगा जो निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किया जा
सकेगा। साथ ही इस हेतु देय शुल्क का चालान भी डाउनलोड कर सीधा बैंक में जमा कराने
का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया से छात्र, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय सभी को सुविधा
होगी एवं समय एवं कार्य दिवसों की बचत होगी। यह प्रणाली शुरु की जा चुकी है और अब
तक घोषित हुए परीक्षा परिणामों के पश्चात ऑन लाइन फार्म सफलता पूर्वक प्राप्त हो रहे हैं।
इस सम्बन्ध में जो भी इस प्रक्रिया में असुविधा आ रही है उनका निराकरण तत्काल किया जा
रहा है। इस योजना को लागू करने से विश्वविद्यालय पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नही होने

जा रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ परिवर्तनों के साथ कार्य योजना तैयार की गई जो विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त योजना की सफलता को देखते हुए विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षा आवेदन ऑन लाईन भरवाने जाने का प्रस्ताव है जिसे लागू किये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना प्रारूप तैयार करने हेतु आदेश क्रमांक प.15( )मगंविबी/परीक्षा/2010/9558 दिनांक 14–07–2010 के द्वारा एक समिति का गठन किया जा चुका है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपरोक्त सूचनार्थ प्रस्ताव को नोट किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–12/2010/129
खालसा कन्या महाविद्यालय, सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

खालसा कन्या महाविद्यालय, सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर को राज्य सरकार द्वारा सत्र 2009–10 में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र/मान्यता निरस्त कर दी गई। तदनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय को सूचित कर दिया गया। दिनांक 25.07.09 को विद्या परिषद की बैठक एवं दिनांक 07.11.09 को प्रबन्ध मण्डल की दसवीं बैठक में उक्त प्रकरण को विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध मण्डल की अनुशंषानुसार विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 10620 दिनांक 25.01.2010 के द्वारा महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी गई। परन्तु आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयुपर के आदेश क्रमांक एफ.4 (346–9/120) आकाशि/ अनु./07/1089 दिनांक 13.11.09 के द्वारा सत्र 2009–10 से अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र पुनः जारी किया गया। आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 92 दिनांक 19–02–2010 के क्रम में इस विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 03–02–2010 एवं 24–02–2010 द्वारा छात्रों के परीक्षा फार्म इसी महाविद्यालय से भरवा लिए गए परन्तु औपचारिक सम्बद्वता बहाल नहीं की गई। अतः खालसा कन्या महाविद्यालय, सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर का सम्बद्धता बहाली का प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करवाकर निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सम्बद्वता बहाल करने का निर्णय लिया गया। माननीय सदस्य श्री तपेश पंवार, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा ने सुझाव दिया कि जहां तक सम्भव हो सेवानिवृत शिक्षकों का निरीक्षण हेतु पैनल तैयार किया जावें एवं निरीक्षण दल में शिक्षक के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी को निरीक्षण टीम में सम्मिलित किया जा सकता है।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–12/2010/130
अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु जारी की जाने वाली अंशदान राशि एवं अन्तर विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेने वाले खिलाडियों, टीम मैनेजर, टीम कोच को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के निर्धारण का प्रस्ताव

विभिन्न खेलों के चयनित खिलाडी अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु जाते है उनको दी जाने वाली सुविधाएं सत्र 2004–05 में निर्धारित की गई थी जो वर्तमान में काफी कम है खिलाडियों को काफी असुविधा का सामना करना पडता है। खेल

बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया की राज्य में विश्वविद्यालयों की तुलना में यह सुविधाएं कम है अतः इन सुविधाओं का पुर्ननिर्धारण जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	विवरण	पूर्व में स्वीकृत राशि	राशि प्रस्तावित
1.	KIT MONEY	Rs.700/-	Rs.1000(Fixed) (Track Suit, Playing Dress Socks)
2.	DA (Players)	Rs.80/- Per day	Rs.150/- Per day
3.	Refreshment Allowance	Rs.20/- Per day	Rs.25/- Per Match
4.	DA (Manager, Coach)	As per Govt. Rule	Rs.150/- Per day
5.	Entry Fees, Match Fees, Ball Fees	Actual Paid	Actual Paid
6.	T.A.	Actual Paid	Actual Paid
7.	Taxi Charges	Rs.25/- one side	Rs.30/- One side
8.	Other Expenses	Actual Paid	Actual Paid (As per Rule with the consent of Chairman/Director Sports)

प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती है इस हेतु इन आयोजक महाविद्यालयों को निर्धारित अंशदान राशि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का निर्धारण सत्र 2004–05 में किया गया था उस समय छात्रों से विश्वविद्यालय रू.15/– फीस प्राप्त करना था लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा दो बार फीस बढाकर वर्तमान में रू.70/– प्रति छात्र फीस प्राप्त की जा रही है।

राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली अंशदान राशि भी महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय की अपेक्षा अधिक है। वर्तमान परिपेक्ष में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना काफी खर्चीला है। खेल बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस अनुदान राशि में संशोधन हेतु प्रस्ताव पारित किया है। अतः इस अंशदान राशि को बढाना प्रस्तावित है। आयोजन हेतु अंशदान राशि का निर्धारण निमनानुसार प्रस्तावित है :–

क्र.सं.	खेल का नाम	पूर्व में स्वीकृत राशि	राशि प्रस्तावित
1-	ARCHERY (M & W)	10000/-	5000/-
2.	ATHLETICS (M & W)	25000/-	30000/-
3.	Air Rifle & Air Pistal (M & W)	10000/-	8000/-
4.	Badminton (M)	5500/-	5500/-

5.	Badminton (W)	2500/-	3500/-
6.	Basket Ball (M)	8500/-	10000/-
7.	Basket Ball (W)	2500/-	3500/-
8.	Base Ball (M & W)	5000/-	9000/-
9.	Ball Badminton (M & W)	5000/-	5000/-
10.	Boxing	4500/-	5500/-
11.	Chess (M & W)	5000/-	6000/-
12.	Cricket (Zonal & Final) (M&W)	2500/- (Each tournament)	5000/- (Each tournament)
13.	Cycling (M & W)	5000/-	5000/-
14.	Cross Country (M & W)	3000/-	4000/-
15.	Football (M)	7500/-	7000/-
16.	Football (W)	-	3000/-
17.	Gymnastic (M & W)	2500/-	5000/-
18.	Hand ball (M)	3500/-	5000/-
19.	Hand ball (W)	2500/-	3000/-
20.	Hockey (M)	8500/-	10000/-
21.	Hockey (W)	2500/-	
22.	Judo (M & W)	5000/-	6000/-
23.	Kabaddi (M)	6500/-	8000/-
24.	Kabaddi (W)	2500/-	3000/-
25.	Kho- Kho (M)	4000/-	5000/-
26.	Kho- Kho (W)	2500/-	3500/-
27.	Swimming (M)	5000/-	5000/-
28.	Swimming (W)	5000/-	
29	Soft ball (M)	2500/-	9000/-
30.	Soft ball (W)	2500/-	
31.	Tennis (M)	6500/-	7500/-
32.	Tennis (W)	2500/-	
33.	Table Tennis (M)	6500/-	7500/-
34.	Table Tennis (W)	2500/-	
35	Volleyball (M)	7500/-	7500/-
36.	Volleyball (W)	2500/-	3000/-
37.	Wrestling (M & W)	5000/-	6000/-
38.	Wt. Lifting , Power Lifting (M&W) & Best Physique (M)	7500/-	12000/-
39.	Yogasan (M & W)	5000/-	5000/-
40.	Net ball (M & W)	-	10000/-
41.	Additional Amount for trial of various games at university	-	5000/-

निर्णय :— बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया मैनेजर एवं कोच को राज्य सरकार के नियमानुसार टी.ए. एण्ड डी.ए. ही देय ह एवं अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों अधिकतम द्वितीय शयनयान या डीलक्स बसों के यात्री भाड़े के समकक्ष यात्रा भ देय होगा। इसके अलावा टैक्सी चार्जेज स्थानीय राजकीय नियमानुसार एवं प्रस्ता में क्र.स. 8 पर अंकित अन्य खर्चे पूर्व की भाँति ही रहेंगे। संशोधन उपरान खिलाडियों एवं संबंधित अधिकारियों को देय राशि निम्नानुसार होगी :—

क्र.सं.	विवरण	पूर्व में स्वीकृत राशि	प्र.म. द्वारा स्वीकृत राशि
1-	KIT MONEY	Rs.700/-	Rs.1000(Fixed) (Track Suit, Playing Dress Socks)
2.	DA (Players)	Rs.80/- Per day	Rs.150/- Per day
3.	Refreshment Allowance	Rs.20/- Per day	Rs.25/- Per Match
4.	T.A. & DA (Manager, Coach)	As per Govt. Rule	As per Govt. Rules
5.	Entry Fees, Match Fees, Ball Fees	Actual Paid	Actual Paid
6.	T.A. -Players	Actual Paid	Actual Paid subject to maximum of II Class Selper/ Deluxe Bus fare.
7.	Taxi Charges	Rs.25/- one side	As per Govt. Rules
8.	Other Expenses	Actual Paid	Actual Paid

इसके साथ ही अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं को आयोजित करने वाले महाविद्यालयों को खेलों के आधार पर तीन श्रेणी में रखकर निम्नानुसार राशि आवंटित करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया :—
अधिकतम — 15,000/— एवं 10,000/— तथा न्यूनतम 5,000/—

टेबल एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम—12/2010/131(i)
विश्वविद्यालय की परीक्षा 2004 तथा तत्पश्चात आयोजित हुई परीक्षाओं में उतीर्ण छात्रों को उपाधि वितरण करने के उद्देश्य से चैक लिस्ट पढने के लिए सेवानिवृत कर्मचारियों से संविदा पर कार्य कराने हेतु जारी मानदेय आदेश की पुष्टि का प्रस्ताव :—

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2004 से परीक्षाओं में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने योग्य छात्रों की चैक लिस्ट पढ़ने के लिए नियमित स्टॉफ की अत्याधिक कमी होने के कारण सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवाएँ प्राप्त की जा रही है। कम्प्यूटर फर्म से प्राप्त चैक लिस्ट एवं विश्वविद्यालय के मूल रिकार्ड (संबंधित परीक्षा की टी.आर. एवं परीक्षा आवेदन पत्र) से मिलान करने के कार्य को सेवानिवृत कर्मचारियों के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है। उक्त कार्यों हेतु सेवानिवृत कर्मचारियों को 1.50 रूपये प्रति छात्र के हिसाब से दिये

जाने वाले मानदेय के आदेश क्रमांक प.15( )मगविबी/परीक्षा/2010/6315-6317 दिनांक 14-06-2010 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :- उपरोक्त प्रस्ताव पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने योग्य छात्रों की चैक लिस्ट पढ़ने के लिए दिये जाने वाले मानदेय के सम्बन्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.15( )मगविबी /परीक्षा/2010/6315-6317 दिनांक 14-06-2010 की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि चैक लिस्ट के परीक्षण में कर्मचारी द्वारा कारित किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित देय राशि में से उचित कटोती की जाएगी।

<u>टेबल एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम-12/2010/131(ii)</u>

सत्र 2010-11 हेतु नवीन सम्बद्वता/सीट अभिवृद्धि हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31-07-2010 तक बढाये जाने के आदेश के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय के प्रावधानुसार नवीन महाविद्यालयों सम्बद्वता/नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों की नवीन सम्बद्वता/सीट अभिवृद्धि हेतु सम्बद्वता शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 मई, 2010 निर्धारित है।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 48(1)(2) के अनुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अध्यादेश 51(1) में हाल ही में हुये संशोधन एवम् कुलपति महोदय की पत्रावली पर प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 20-07-2010 की पालना में निर्धारित सम्बद्वता शुल्क की तीन गुना विलम्ब शुल्क के साथ नवीन महाविद्यालय सम्बद्वता/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/सीट अभिवृद्धि हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक आवेदन स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दिनांक 21-07-2010 भी जारी की जा चुकी है।

अतः कुलपति महोदय द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त निर्णय महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर प्रबन्ध मण्डल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

<u>निर्णय</u> :- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अध्यादेश 51(1) में हाल ही में हुये संशोधन निर्धारित सम्बद्वता शुल्क की तीन गुना विलम्ब शुल्क के साथ नवीन महाविद्यालय सम्बद्वता/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/सीट अभिवृद्धि हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक आवेदन स्वीकार किए जाने की कुलपति महोदय की पत्रावली पर प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 20-07-2010 की प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि राजकीय महाविद्यालयों को राज्य सरकार से सीट अभिवृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम की अनुमति प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के अन्दर विश्वविद्यालय में सम्बद्वता हेतु आवेदन प्राप्त होने पर विलम्ब शुल्क की छूट रहेगी।

टेबल एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–12 / 2010 / 131(iii)

विश्वविद्यालय अधिकारियों / कर्मचारियों के परीक्षा कार्य 2009 एवं 2010 के लि मानदेय की अधिकतम सीमा हटाने का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 10वीं बैठक के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी / बोम–11 / 2010 / 108 के विश्वविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियो को परीक्षा 2009 एवं 2010 के परीक्षा कार्यों मानदेय / पारिश्रमिक रूपये 45,000 / – की अधिकतम सीमा लगाते हुए अनुमोदित किया गया था।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने ज्ञापन दिनांक 19–07–2010 प्रस्तुत कर (छाया प्रति संलग्न परीक्षात्नक कार्यो को कराये जाने के पश्चात् वर्ष 2009 एवं 2010 के लिए मानदेय रूपये 45,000 / – सीमित करने के निर्णय पर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में इस सीमा निर्धारण पर पुनः विचार करते इसे हटाकर वर्ष 2008 के समान ही परीक्षा 2009 व 2010 का मानदेय स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

अतः परीक्षा 2009 एवं 2010 के लिए मानदेय / पारिश्रमिक के लिए रूपये 45,000 / – की अधिकत सीमा हटाने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विस्तृत विचार–विमर्श कर अशैक्षणिक कर्मचारियों की अत्याधिक कमी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय के पश्चात किये जाने वाले सभी परीक्षा एवं अन्य कार्यो हेतु वर्ष 2009 के लिए मानदेय की राशि अधिकतम सी 60,000 / – एवं परीक्षा वर्ष 2010 हेतु रूपये 70,000 / – रखे जाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न कार्यो के लिए निर्धारित दरे यथावत ही रहेंगी। साथ ही निर्णय लिया गया कि परीक्षा वर्ष 2011 के लिए परीक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त कार्यो के लिए मानदेय एवं सीमा निर्धारण से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक समिति का गठन कर कार्यालय समय में किये जाने वाले कार्य मात्रा निर्धारित कर कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाएगा। तत्पश्चात अतिरिक्त कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तैयार किया जाएगा एवं यथानुसार अतिरिक्त कार्य हेतु मानदेय निर्धारण का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

टेबल एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–12 / 2010 / 131(iv)

विश्वविद्यालय अधिकारियों / कर्मचारियों को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अनुसार प्राईवेट चिकित्सालय में उपचार एवं पुनर्भरण की सुविधा मुहैया करवाने का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण की सुविधा वर्तमान मे केवल राजकीय चिकित्सालयों के चिकित्सक को दिखाए जाने पर ही देय है, जबकि कर्मचारियों की यह मांग रही है कि उन्हें महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की भांति प्राइवेट चिकित्सक / चिकित्सालय में उपचार एवं पुनर्भरण की सुविधा दी जावे। चूंकि विश्वविद्यालय मे अल्प संख्या में स्थाई कर्मचारी है एवं यह सुविधा केवल महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से स्थानान्तरित कर्मचारियों को ही देय है एवं कर्मचारी एवं उनके आश्रितों को उनके उपचार की अच्छी एवं शीघ्र चिकित्सा सुविधा हेतु बीकानेर शहर के निम्न दो प्राइवेट चिकित्सालयों को अधिकृत करना प्रस्तावित है।

1. कोठारी हॉस्पीटल, बीकानेर
2. एम.एन. हॉस्पीटल, बीकानेर

राजकीय चिकित्सालयों में जांच करवाने तथा सोनाग्राफी, एक्स–रे इत्यादि जांचों के लिए आगामी दिनों की तारीख दी जाती है, जिसके कारण उपचार में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त राजकीय चिकित्सालयों में मरीजो की अधिक संख्या को देखते हुए जांच परिणाम भी विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसलि

राजकीय चिकित्सालय के स्थान पर निजी चिकित्सालयों/परीक्षण अनुसंधान केन्द्रों से जांच करवाने से विश्वविद्यालय पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। अतः कर्मचारियों को निजी लैब से जांच करवाने की सुविधा इस शर्त पर प्रदान करना प्रस्तावित है, उन्हें पुनर्भरण राजकीय चिकित्सालयों की दर से ही किया जायेगा। प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है।

<u>निर्णय :-</u> इस प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्थगित करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

<u>टेबल एजेण्डा आईटम सं. : मगसिविबी/बोम-12/2010/131(v)</u>

विश्वविद्यालय मे कार्य की अभिवृद्धि एवं अशैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों की कमी को देखते हुए 50 सेवानिवृत तथा 50 संविदा श्रमिकों को स्थिर पारिश्रमिक पर रखने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने का प्रस्ताव :-

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25.07.2008 प्रस्ताव संख्या द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में आवश्यकतानुसार सेवानिवृत कर्मचारियों की स्थिर पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया था। विश्वविद्यालय में वर्तमान मे 38 सेवानिवृत कर्मचारी तथा इतनी ही संख्या में अनुबन्ध पर संविदा श्रमिक कार्यरत है। इस विश्वविद्यालय में अन्य विश्वविद्यालयो की तुलना में अशैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या नगण्य है जबकि वर्तमान मे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयो की संख्या 300 से अधिक हो गई हैं तथा लगभग 1 लाख 70 हजार छात्रों की परीक्षाएं आयोजन कार्य तथा अन्य शैक्षणिक, प्रशासनिक, एवं वित्तीय आदि समस्त कार्य के संचालन हेतु राज्य सरकार को 110 अशैक्षणिक संवर्ग के नवीन पदो के सृजन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए हुए हैं, परन्तु राज्य सरकार की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है।

विश्वविद्यालय का सामान्य कार्य संचालन हेतु नवीन सृजित पदों पर नियुक्ति होने तक न्यूनतम 50 सेवानिवृत कर्मचारियों तथा 50 संविदा श्रमिको (आवश्यकतानुसार) को अनुबन्ध पर विश्वविद्यालय की स्वयं की आय से उन्हें पारिश्रमिक आदि का भुगतान करने की शर्त पर रखने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया है, परन्तु अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः विश्वविद्यालय का कार्य समयवद्ध तरीके से संचालन के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा में न्यूनतम 50 सेवानिवृत कर्मचारियों तथा इतनी ही संख्या में अनुबन्ध पर संविदा श्रमिकों को विश्वविद्यालय की आय से पारिश्रमिक भुगतान की शर्त पर रखने के लिए प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय :-</u> विश्वविद्यालय में कर्मचरियों की कमी को देखते हुए अधिकतम 50 सेवानिवृत कर्मचारियों को स्थिर पारिश्रमिक पर तथा अधिकतम 50 संविदा श्रमिकों को निविदा के माध्यम से ठेका प्रथा के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यो के लिए रखे जाने हेतु लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में अशैक्षणिक कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति उपरान्त नियुक्ति होने पर सेवानिवृत एवं संविदा श्रमिकों को अनुपातिक संख्या में हटा दिया जाएगा। अन्य विश्वविद्यालयों के कार्यो एवं कर्मचारियों की संख्या का तुलनात्मक विवरण तैयार कर औचित्यता के साथ राज्य सरकार को पदों की स्वीकृति हेतु पुनः अनुरोध करने का निर्णय भी लिया गया।

टेबल एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविवी / बोम–12 / 2010 / 131(vi)
विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भवन निर्माण / वाहन क्रय आदि के लिए अग्रिम ऋण सु
उपलब्ध कराने बाबत। :–

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विश्वविद्यालय की स्व
अर्जित आय की समुचित धनराशि विभिन्न बैंकों में स्थाई जमा (Fixed Deposite) के रूप मे उप
है। विश्वविद्यालय को बैंक द्वारा जिस दर पर ब्याज प्राप्त होता है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों
मांग है कि भवन निर्माण, वाहन क्रय आदि की उक्त जमा धनराशि से अग्रिम ऋण की सुविधा उपल
कराने पर वे बैंकों से 2 प्रतिशत अधिक दर से ऋण अदायगी करने को सहमत है। इस तरह के ऋ
की सुविधा लागू करने पर विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों दोनो को ही लाभ होगा। कर्मचारियों
आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक मे इस प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ रखने का निवेदन किया है। अत
प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। प्रबन्ध मण्डल की गत 11 वी
बैठक में इस तरह के प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल ने स्वीकार नहीं किया था।

कर्मचारियों द्वारा 2 प्रतिशत अधिक ब्याज दर पर सहमति को ध्यान में रख कर प्रस्ताव पुन
विचारार्थ रखा गया है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भवन निर्माण / वाहन क्रय आदि के लिए अग्रिम ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल द्वारा अस्वीकार किया गया।

टेबल एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविवी / बोम–12 / 2010 / 131(vii)
समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 24–07–2010 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन क

प्रस्ताव :–

समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 24.07.2010 का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है –

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव एवं विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से प्रबन्ध मण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गई। साथ ही समकक्षता समिति के कार्यवाही को विद्या परिषद में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन पश्वात समाप्त हुई।

कुलसचिव